न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 54/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/66

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज) **बनाम** श्री कालुराम पुत्र श्री सुखलालजी तेली, मैसर्स – श्री काली कृपा दुध डेयरी, मोहन कोलोनी घाटी, उदयपुर रोड, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11–10–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 13–09–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 10–06–2022 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स – श्री काली कृपा दुध डेयरी, मोहन कोलोनी घाटी, उदयपुर रोड, बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री कालुराम पुत्र श्री सुखलालजी तेली उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर फ्रिजर में **लगभग 15 थैली जिनमे प्रत्येक में एक किलो दही** आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **एक थैली से 1 किलो ग्राम दही** वास्ते नमुना जॉच हेतु एक साफ सुखे स्टील के भगोने में तुलवाकर क्रय किया तथा इनकी कीमत 70 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **1 किलोग्राम दही** को हिला मिला कर चार साफ सुखी चौडे मुह की शिशी में बराबर बराबर मात्रा में लेकर प्रत्येक नमूना शिशी में 20–20 बुन्द फॉरमेलिन की डालकर ढक्कन एयर टाईड बंद किया एवं उक्त चारो शिशियों को नियमानुसार [illegible] किया। उक्त नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में [illegible] जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/233–234 दिनांक 28–06–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 586 दिनांक 22–06–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **दही** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safecty and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड दही** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–09–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/233–234 दिनांक 28–06–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 586 दिनांक 22–06–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **दही** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safecty and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड दही** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम [illegible]06 [illegible] के तहत सब **स्टेण्डर्ड पाये गये दही** को विक्रय [illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(i[illegible] का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री कालुराम पुत्र श्री सुखलालजी तेली, मैसर्स – श्री काली कृपा दुध डेयरी, मोहन कोलोनी घाटी, उदयपुर रोड, बॉसवाडा रूपये 15,000/– (अक्षरे रू पन्द्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner